न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

1–अपील संख्या : 4/2012 विस्फोटक अधिनियम 1884

अनवान : जफर हुसैन पुत्र अख्तर अली जाति मुसलमान निवासी 52 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानागर ।

––––– अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान

–––रेस्पोन्डेंट

––––– रेस्पोन्डेंट

उपस्थित :– श्री ओम प्रकाश शर्मा — अभिभाषक अपीलांट
श्री चतुर्भुज शर्मा — सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर राज्य पक्ष

निर्णय

दिनांक : 22.7.2019

1. यह अपील विस्फोटक अधिनियम् 1884 की धारा 6 एफ एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम् 121(1) के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.3.12 व 6.6.12 जिसके द्वारा अपीलान्ट जफर हुसैन का एक्सप्लोसिव अनुज्ञा पत्र संख्या क्रमशः 4/93 निरस्त किया गया है, के विरुध्द प्रस्तुत हुई है ।
2. उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी जफर हुसैन पुत्र अख्तरअली निवासी मकान नं. 25 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर द्वारा चक 3–ए छोटी के मुरब्बा नं. 18 के किला नं0 16,17,24,25 में पटाखा निर्माण फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण के लिए एक्प्लोसिव अनुज्ञा पत्र सं. 4/1993 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से जारी करवाया हुआ था तथा अपीलान्ट द्वारा पटाखों का निर्माण किया जा रहा था । अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार के साथ दीपावली त्यौहार पर सुरक्षा उपायों के तहत अपीलान्ट के उक्त पटाखा फैक्ट्री की दिनांक 3.11.10 को जांच की गयी, जिसमें जांच के दौरान पाया कि अपीलान्ट की फैक्ट्री में मौके पर 23 मजदूर पटाखा निर्माण कार्य में लगे हुए थे । अनुज्ञा पत्र के अनुसार 15 कि.ग्रा. का पटाखा निर्माण किया जा सकता था, किन्तु दौराने निरीक्षण अधिक मात्रा में निर्माण पाया गया, जो सीलबन्द किया जाकर गोदाम में रखवाया जाकर जफर हुसैन की सुपुर्दगी में दिया गया । बाद जांच फर्द की मूल प्रति एवं रिपोर्ट क्रमांक 3348 दिनांक 15.11.10 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गयी । इस पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से भूमि के स्वामित्व की रिपोर्ट क्रमांक 276

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनांक 6.6.11 प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया कि चक 3 ए छोटी के मु0नं0 18 के किला नं0 16–17–24–25 की भूमि अभिलेख अनुसार तारादेवी, सुरुचि, पत्नी धर्मवीर, धर्मवीर पुत्र गुरदयाल व प्रवीण पुत्र गुरदयाल के नाम खातेदारी दर्ज है । तहसीलदार, श्रीगंगानगर की उक्त जांच रिपोर्ट पर अपीलार्थी जफर हुसैन से स्वामित्व के सम्बन्ध में दस्जावेज चाहे गये । इस पर अपीलान्ट जफर हैसन ने जाहिर किया कि फैक्ट्री का उक्त रकबा जरिये इकरारनामा दिनांक 17.12.91 को पवन कुमार पुत्र गुरदयाल मल अग्रवाल से खरीद शुदा है एवं इकरारनामा की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 26.4.11 के साथ पेश की गयी । इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच में रकबा जरिये करार पत्र क्रय शुदा होने, रकबा मूल खातेदारान के नाम से होने तथा रजिस्टर्ड सेल डीडी भी निष्पादित नहीं करवाये जाने तथा वाणिज्यिक प्रयोग अथवा विस्फोटक सामग्री के निर्माण हेतु सम्परिवर्तित नहीं करवाये जाने के कारण अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र सं. 4/93 को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 31.3.12 एवं विस्तृत निर्णय दिनांक 6.6.12 द्वारा अपीलान्ट का एक्सप्लोसिव अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया । जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के निरस्त आदेश दिनांक 31.3.12 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. अभिभाषक अपीलान्ट का मुख्य रुप से कथन है कि अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 4.8.1993 से विस्फोटक मैन्युफेक्चरिंग का लाइसेंस जारी शुदा है, जिसका प्रति वर्ष नवीनीकरण होता रहा है एवं दिनांक 31.3.12 तक नवीनीकृत है । अपीलान्ट द्वारा उक्त लाइसेंस जारी करवाने से पहले पूर्ण दस्तावेज व जमीन का नक्शा पेश करने पर जांच के पश्चात ही लाइसेंस जारी हुआ है । अपीलान्ट ने विस्फोटक के लाइसेंस की शर्तो के अनुसार अपनी फैक्ट्री का निर्माण किया और वहां 15 कि.ग्रा. विस्फोटक रखने की अनुमति के बाद ही विनिर्माण में काम आने वाले औजार लेकर आया । यह कि अपीलान्ट की दीपावली त्यौहार के दौरान दिनांक 11.3.11 को उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा जांच की गयी, दौरान जांच सुरक्षा की दृष्टि से कोई त्रुटि नहीं पाई गयी थी । यह कि अपीलान्ट द्वारा फैक्ट्री विनिर्माण के भूमि चक 3 ए छोटी के मु0 नं0 18 के किला नं0 16,17,24,25 की जरिये इकरारनामा सेलडीड है तथा स्वामित्व सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड पेश किया हुआ है। यहकि प्रकरण में दिनांक 27.3.12 को लाइसेंस नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं है, की नोटशीट पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा O.K. As Proposed लघु साइन करते हुए दिनांक 31.3.12 को फर्दअहकाम लिखा गया है, कोई अलग से स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है । यह कि अपीलान्ट अपना कारोबार चला रहा है, अचानक उसका लाइसेंस

सभागीय आयुक्त
बीकानेर

निरस्त कर दिया गया है, जबकि उसके द्वारा विस्फोटक नियमों की कभी भी अवहेलना नहीं की गयी है । अपीलान्ट ने कृषि भूमि के रुपान्तरण हेतु सम्बन्धित विभाग में प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है । अतः जिला दण्ड नायक का आदेश दिनांक 31.3.12 निरस्त किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

4. प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस में बताया कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण में दिनांक 31.3.12 को आदेश As Proposed लिखने के पश्चात दिनांक 6.6.12 को अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण का विस्तृत निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 31.3.12 के विरुध्द अपील पेश की गयी है, जबकि उक्त आदेश के पश्चात विस्तार से निर्णय दिनांक 6.6.12 पारित किया गया है, जिसकी अपील नहीं की गयी है । प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर एवं तहसीलदार श्रीगंगानगर के साथ संयुक्त रुप से जांच की गयी, जिसमें मौके पर निर्धारित निर्माण 15 कि.ग्रा. से अधिक का निर्माण पाया गया । तहसीलदार, श्रीगंगानगर से भूमि के स्वामित्व की रिपोर्ट क्रमांक 276 दिनांक 6.6.11 प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया कि चक 3 ए छोटी के मु0नं0 18 के किला नं0 16–17–24–25 की भूमि अभिलेख अनुसार तारादेवी, सुरुचि, पत्नी धर्मवीर, धर्मवीर पुत्र गुरदयाल व प्रवीण पुत्र गुरदयाल के नाम खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच में रकबा जरिये करार पत्र क्रय शुदा होने, रकबा मूल खातेदारान के नाम से होने, रजिस्टर्ड सेल डीडी निष्पादित नहीं करवाये जाने तथा वाणिज्यिक प्रयोग अथवा विस्फोटक सामग्री के निर्माण हेतु सम्परिवर्तित नहीं करवाये जाने के करण अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र सं. 4/93 को नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं मानते हुए आदेश दिनांक 31.3.12 एवं विस्तृत निर्णय 6.6.12 द्वारा निरस्त किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे ।

5. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया । उभय पक्ष की बहस के अनुसार अपील में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट होती है :–

I. प्रकरण अनुसार अपीलार्थी जफर हुसैन पुत्र अख्तर अली निवासी 52 एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर द्वारा चक 3 ए छोटी के मु0नं0 18 के किला नं0 16, 17, 24, 25 में पटाखा निर्माण की फैक्ट्री चलाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर से लाइसेंस सं0 4/93 दिनांक 4.8.93 जारी करवाया गया जिसमें अपीलान्ट द्वारा पटाखों का निर्माण किया जा रहा था । अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर द्वारा उपखण्ड अधिकारी व तहसीलदार, श्रीगंगानगर के साथ दीपावली त्यौहार पर सुरक्षा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपायों के तहत अपीलान्ट के उक्त पटाखा फैक्ट्री की दिनांक 3.11.10 को जांच की गयी । जांच के दौरान पाया कि अपीलान्ट की फैक्ट्री में मौके पर 23 मजदूर पटाखा निर्माण कार्य में लगे हुए थे । अनुज्ञा पत्र के अनुसार 15 कि.ग्रा. का पटाखा निर्माण किया जा सकता था, किन्तु दौराने निरीक्षण अधिक मात्रा में निर्माण पाया गया, जो सीलबन्द किया जाकर गोदाम में रखवाया जाकर जफर हुसैन की सुपुर्दगी में दिया गया तथा बाद जांच फर्द की मूल प्रति एवं रिपोर्ट क्रमांक 3348 दिनांक 15.11.10 जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर को प्रस्तुत की गयी ।

II. प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर से भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में रिपोर्ट क्रमांक 276 दिनांक 6.6.11 प्राप्त की गयी, जिसमें अवगत कराया कि चक 3 ए छोटी के मु0नं0 18 के किला नं0 16–17–24–25 की भूमि अभिलेख अनुसार तारादेवी पत्नी राधेश्याम, सुरुचि पत्नी धर्मवीर व धर्मवीर पुत्र गुरदयाल मल व प्रवीण पुत्र गुरदयाल के नाम खातेदारी दर्ज है तथा वर्तमान में उक्त रकबा पर जफर हुसैन वगैरह सा0 52 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर द्वारा पटाखा निर्माण फैक्टरी चालू है । उक्त जांच रिपोर्ट पर अपीलार्थी जफर हुसैन से स्वामित्व के सम्बन्ध में दस्जावेज चाहे गये । जिस पर अपीलान्ट द्वारा इकरारनामा दिनांक 17.12.91 जो पवन कुमार पुत्र गुरदयालमल अग्रवाल के साथ निष्पादित किया गया, की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 26.4.11 के साथ पेश की गयी । इस प्रकार तहसीलदार, श्रीगंगानगर से प्राप्त की गयी भूमि के स्वामित्व की रिपोर्ट दिनाक 6.6.11 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा कृषि भूमि पर बिना विक्रय पत्र का निष्पादन करवाये, करार पत्र के आधार पर एवम् कृषि भूमि पर बिना वाणिज्यक सम्परिवर्तन करवाये पटाखा फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था । अपीलान्ट द्वारा चालू पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस नवीनीकरण हेतु निवेदन किया गया, किन्तु इस प्रकार कृषि भूमि पर पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस नवीनीकरण उचित नहीं है ।

III. प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 31.3.2012 के विरुध्द इस न्यायालय में यह अपील पेश की गयी है, जो नोटशीट पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित संक्षिप्त आदेश है । अभिभाषक अपीलान्ट का बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तृत आदेश पारित नहीं किया गया है, जबकि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलान्ट जफर हुसैन के एक्सप्लोसिव अनुज्ञा पत्र सं0 4/93 बाबत संक्षिप्त आदेश दिनांक 31.3.12 पारित करने के पश्चात दिनांक 6.6.12 को विस्तृत रुप से निर्णय पारित किया गया है । अतः अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. उपरोक्त तथ्यों के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलान्ट जफर हुसैन द्वारा चक 3ए छोटी के मु0 नं0 18 के किला नं0 16–17–24–25 की कृषि भूमि पटाखा निर्माण फैक्ट्री संचालन किया जा रहा था, जिसमें जांच कमेटी की रिपोर्ट दिनांक 3.11.10 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञा पत्र की शर्तो के विरुध्द 15 कि.ग्रा. से अधिक एक्सप्लोसिव का निर्माण किया जा रहा था । उक्त कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अन्य खातेदारान के नाम से दर्ज है, उक्त भूमि के बाबत अपीलान्ट के नाम से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोग अथवा विस्फोटक सामग्री के निर्माण हेतु सम्परिवर्तन नहीं करवाया जाने से पटाखा निर्माण फैक्ट्री चलाया जाना नियमानुसार नहीं होने से अपीलान्ट का एक्सप्लोसिव निर्माण का लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है । प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलान्ट का एक्सप्लोजिव अनुज्ञा पत्र सं0 4/93 जो आदेश दिनांक 31.3.12 एवं विस्तृत निर्णय दिनांक 6.6.12 द्वारा निरस्त किया गया है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है एवम् जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानागर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.3.12 एवं विस्तृत निर्णय दिनांक 6.6.12 यथावत रखा जाता है।

7. तद्नुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.7.19 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त,
बीकानेर